की विभिन्न नदियों में पूदषण के स्तर और जल की गुणवत्ता के सतत् अध्ययन तथा उसके लिये विस्तृत मानचित्र तैयार करने हेतु कोई योजना बनायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और इस योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा;

(ग) क्या यह योजना एक बार के लिये लागू की जायेगी अथवा यह सतत् जारी रहेगी;

(घ) नदियों के जल के प्रदूषित होने के मुख्य-मुख्य कारक क्या हैं और क्या सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिये कोई कार्ययोजना बनायी हैं; और

(ड.) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड " भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधनों की निगरानी" और "विश्व पर्यावरणीय निगरानी प्रणाली" कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो की सहायता से देश में विभिन्न नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा हैं। कुल 480 जलगुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं तथा विभिन्न भौतिक, रसायनिक एवं जैविक पैरामीटरों के लिए मासिक या तिमाही आधार पर जल गुणवत्ता निगरानी की जा रही हैं। जल गुणवत्ता निगरानी के आंकड़े और निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग के आधार पर विस्तृत जल गुणवत्ता मानचित्र तैयार किए गए हैं। निगरानी कार्यक्रम अनवरत गतिविधियां हैं।

(घ) और (ड.) नदियों के प्रदूषण के लिए मुख्य कारकों में अशोधित/आंशिक रूप से शोधित मलजल और औद्योगिक बहिस्राव का विसर्जन शामिल हैं। कृषि रन-आफ, अधजले , बिना जले शवों को नदी में विसर्जित किया जाना जैसे गैर-स्थल स्रोत भी नदी, जल प्रदूषण में योगदान करते हैं। देश की प्रमुख नदियों के अभिनिर्धारित प्रदूषित भागों की जल गुणवत्ता की बहाली के लिए एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शुरू की गई हैं। दस राज्यों में अठारह नदियों के प्रदूषित भागें के किनारों पर 46 नगर स्थित हैं। इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 772 करोड़ रूपये हैं जिसे केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

हजीरा, गुजरात में प्रदूषण का स्तर

317. **श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या हाल ही के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार गुजरात के हजीरा क्षेत्र मं रिलायंस पेट्रो-रसायन संयंत्र से प्रतिदिन छोड़ी जा रही जहरीली गैसों से प्रदूषण का स्तर काफी ऊपर चला गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस संयंत्र में प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रदूषण रोधी उपायों का ब्यौरा क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार मैसर्स रिलांयस लिमिटेड के पेट्रोकैमिकल संयंत्र से उत्सर्जनों के कारण हजीरा में प्रदूषण स्तर से अधिक वृद्वि नहीं हुई हैं।

(ग) बोर्ड ने उद्योग को निर्देश जारी किए हैं कि अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपाय किये जाएं और तदनुसार उद्योग ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी प्रणालियां मुहैया की हैं। निगरानी परिणामों से संकेत मिलता हैं कि उत्सर्जन निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं।

संसद-सदस्यों की सुरक्षा हेतु प्रबंध

318. **श्री रामजी लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में संसद-सदस्यों की सुरक्षा के लिये विशेष प्रबंध करती हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार को कितने पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (ग) सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए खतरे के मूल्यांकन के आधार पर खतरे के स्तर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में संसद सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती हैं। सुरक्षा प्रदान करने के अनुरोधों पर सरकार द्वारा विचार किया जाता हैं तथा उनकी जान के जोखिम के आधार पर जहां कहीं आवश्यक होता हैं, सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती हैं।